



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 20 वांछित अभियुक्त व 05 बाल अपचारी पुलिस संरक्षण एवं NBW में 06 वारण्टी गिरफ्तार।

दिनांक- 02.10.2024

दिनांक- 01/02.10.2024 को-

- 01- थाना बीकेटी में पंजीकृत मु0अ0सं0 280/24 धारा 75(1)(i)(iii) BNS व 9M/10/11(iii)/12 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश गौतम
- 02- थाना चिनहट में पंजीकृत मु0अ0सं0 468/2024 धारा 140(1)/103(1)/238 BNS से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश शर्मा
- 03-थाना चिनहट में पंजीकृत मु0अ0सं0 213/2024 धारा 302/201/120बी/420/467/468/471 IPC से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों 01-कुलदीप सिंह 02- दीपक वर्मा 03- आलोक निगम
- 04-थाना महिगवाँ में पंजीकृत मु0अ0सं0 121/2024 धारा 305/317(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त दीपू
- 05-थाना महिगवाँ में पंजीकृत मु0अ0सं0 122/2024 धारा 376/328/313/323/506/420 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त रंजीत कुमार
- 06-थाना पीजीआई में पंजीकृत मु0अ0सं0 630/2024 धारा 191(2)/191(3)/109/140(1)/351(3)/352 BNS से सम्बन्धित अभियुक्त आशुतोष सिंह उर्फ अतुल
- 07-थाना रहीमाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 170/2024 धारा 74/78/333 BNS व 9ठ/10 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त ललित पाल उर्फ शिवेन्द्र
- 08-थाना सआदतगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 173/2024 धारा 303(2)/317(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 इमरान
- 09-थाना सैरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 135/2024 धारा 303(2)/317(2) BNS से सम्बन्धित 04 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता 01- अनमोल सिंह 02- रजत सिंह 03- कुलदीप मिश्रा 04- अजय 05- प्रिया
- 10-थाना सरोजनीनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2024 धारा 394/411 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह उर्फ गोरे
- 11-थाना विकासनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 170/2024 धारा 309(6)/317(2) BNS से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 01- राज प्रताप सिंह उर्फ बाबू छपरी 02- इन्द कुमार उर्फ इन्दल
- 12-थाना आशियाना में पंजीकृत मु0अ0सं0 344/24 धारा 305/331(4) BNS से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 01- लियाकत अली 02- बाँबी रावत गिरफ्तार व 05 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।
एवं
NBW में थाना अलीगंज से 02, इटौंजा से 02, काकोरी से 01, चौक से 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

जोन-पूर्वी

कार द्वारा टक्कर - थाना गोमतीनगर विस्तार-

दिनांक 01.10.2024 समय करीब 21.30 बजे से 22.00 बजे के मध्य रात्रि में गली नं0 15 में छोटा भरवारा में वाहन संख्या डी0एल0 6 सी0एन0 3941 कार स्विफ्ट चालक रवि पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत ने उमेश पुत्र पुत्ती लाल निवासी जयराम पुरवा थाना मोतीपुर जनपद बहराइच को टक्कर मार दी जिससे उसके पैरों में चोटों आयी है। घायल को उपचार हेतु लोहिया अस्पताल भेजा गया है जहाँ उसका उपचार चल रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जोन-पश्चिमी

अज्ञात शव - थाना बाजारखाला-

आज दिनांक 02.10.2024 को रुकईया बानों पत्नी मुसीर अहमद निवासिनी एवरेडी तिराहा थाना बाजारखाला लखनऊ द्वारा थाना बाजारखाला पर सूचना दी कि दिनांक 02.10.2024 को समय करीब रात्रि 01.00 बजे एवरेडी तिराहे पर फल की दुकान के पास एक अज्ञात शव उम्र करीब 40 वर्ष पड़ा है। इस सूचना पर उपनिरीक्षक श्री राम समुझ यादव थाना बाजारखाला द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पायी है। शिनाख्त के प्रयास किये जा रहे हैं। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



जोन-दक्षिणी

साइबर फ्राड-थाना गोसाईगंज-

दिनांक 01.10.2024 को वादी श्री अनिल कुमार सिंह (जेल वार्डर) निवासी-सरकारी आवास, आदर्श कारागार लखनऊ ने थाना स्थानीय पर सूचना दी जिसमें दिनांक 26.09.2024 को वादी जब घर पर नहीं था तो उसके मोबाइल पर एक मो0नं0 8101183640 से एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया, तो उसके पुत्र ने रिसीव कर लिया। कॉल करने वाले ने वादी के पुत्र को अपनी बातों के झांसे में लेकर एक रेड डेक्स एप लोड कराकर 01 लाख रुपये का भुगतान करा लिया। पुनः दिनांक 29.09.2024 को पुनः 01 लाख रुपये निकालने का प्रयास किया जो कि खाता में होल्ड गया है। फ्राड होने की शंका होने पर बैंक जाने पर 01 लाख रुपये निकल जाने के जानकारी हुयी, तथ्य अंकित हैं। वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना गोसाईगंज पर मु0अ0सं0 409/2024 धारा 66 आईटी एक्ट अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार-थाना मोहनलालगंज-

दिनांक 01.10.2024 को एस0आई0 श्री अनूप कुमार तिवारी थाना मोहनलालगंज द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01- सुरेश कुमार पुत्र श्री केशन निवासी ग्राम भीलमपुर थाना मोहनलालगंज लखऊ उम्र 35 वर्ष को ग्राम भीलमपुर नहर के बगल पगडंडी पर, मोहनलालगंज लखनऊ से 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 454/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।